गोरखनाथ (भा0प्र0से0)
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया

बिहार सरकार

आयुक्त कार्यालय,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया
फोन नं0- 06454-243199 (O)
241899 (F)
ईमेल आई0डी0-divcom-purnea-bih@nic.in

पत्रांकः..................... ....   दिनांकः...........................

सेवा में,

जिला पदाधिकारी / पुलिस अधीक्षक
कटिहार।

विषयः— **कटिहार जिला अन्तर्गत साहेबगंज–मनिहारी अंतर्राज्यीय फेरीघाट की बन्दोबस्ती के पश्चात् निविदा की शर्तों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि साहेबगंज–मनिहारी अन्तर्राज्यीय फेरीघाट की बन्दोबस्ती वित्तीय वर्ष 2022–24 के लिए जिला पदाधिकारी कटिहार द्वारा की गई है। इसके पूर्व वित्तीय वर्ष 2022–21 एवं 2021–22 तक के लिए बन्दोबस्ती साहेबगंज (झारखण्ड) जिला प्रशासन द्वारा की गयी थी। उक्त बन्दोबस्ती का दखली परवाना में यह शर्त्त निर्धारित थी कि स्वीकृत लेशी द्वारा क्षमता से अधिक पैंसेंजर या समानों का परिचालन नहीं करेगें। जलयानो का परिचालन सूर्योदय सें सूर्यास्त तक ही किया जायेगा और यदि विशेष परिस्थिति में इसके बाद परिचालन आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। बंगाल फेरी एक्ट 1885 की धारा 18 के अर्न्तगत टॉल से से अधिक की राशि की वसूली नहीं करेगे इत्यादि।

2. उपर्युक्त वर्णित शर्त्तो के साथ–साथ कुल 15 (पंद्रह) शर्त्तों के तहत मंत्री, साहेबगंज नाव यातायात सहयोग समिति लिमिटेड, साहेबगंज को यह परवाना साहेबगंज जिला प्रशासन द्वारा दिया गया था। परन्तु उक्त शर्त्तो का उल्लंघन करते हुए संबंधित लेशी द्वारा संविदा / परवाना की शर्त्तो के विपरीत कार्य किये गये जिसके कारण दिनांक 24.03.2022 की रात्रि में गंगा नदी के इनलैंड बेसिन में जहाज पर लदे गिट्टी भरे ट्रक रात्रि में दूर्घटनाग्रस्त होने के कारण तथा जहाजों में क्षमता से अधिक लदान किये जाने के कारण सूर्यास्त के उपरांत गंगा नदी में डूब गई। जिसमें दो व्यक्तियों की मृत्यू भी हो गई थी। उक्त घटना के बाद बरामद चार ट्रकों में से एक ट्रक 14 चक्के का भी पाया गया। जबकि उस समय बिहार राज्य में 14 चक्के के वाहन का परिचालन प्रतिबंधित था। इस मामले में अब यह आरोप लग रहें है कि साहेबगंज जिला प्रशासन के साथ साथ कटिहार जिला प्रशासन की भी इसमें सहभागिता रही है।

3. इस घटना की जॉच हेतु दिनांक 01.08.2022 को कटिहार जिला प्रशासन के संबंधित सभी पदाधिकारियों के साथ पुलिस महानिरीक्षक, पूर्णियॉ क्षेत्र, पूर्णियॉ की उपस्थिति में एक बैठक आयोजित की गई। जिसमें यह परिलक्षित हुआ कि कटिहार जिला प्रशासन के सभी स्थानीय पदाधिकारियों को बंदोबस्ती संविदा / परवाना के शर्त्तो के उल्लंघन के बारे में सूचनाएँ प्रतिवेदित हो रही थी तथा ओभर लोडेड ट्रक का लगातार परिचालन मनिहारी घाट पर किया जा रहा था। लेशी के अतिरिक्त दबंग व्यक्तियों द्वारा इसको संचालित किया जा रहा था। अब इस वित्तीय वर्ष में बन्दोबस्ती कटिहार जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। उक्त स्थिति में बंदोबस्त / संविदा / परवाना की शर्त्तो का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व पूर्णतया कटिहार जिला प्रशासन का है। इसे अनुपालन कराने हेतु निम्नवत् निर्देश दिया जाता है :—

(i) सूर्योदय एवं सूर्यास्त के पश्चात वाहनों के परिचालन पर पूर्णतया रोक लगाने के लिए अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष, मनिहारी तथा अनुमंडल पदाधिकारी / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मनिहारी को प्राथमिक रूप से उत्तरदायी बनाया जाय।

(ii) उक्त पदाधिकारीगण यह सुनिश्चित करेगें कि संविदा / परवाना में **दिये गये शर्त्तो के अनुरूप जहाजो का परिचालन किया जा रहा है। सूर्यास्त के पश्चात कोई भी जहाज परिचालित नही हो**

रहा है, किसी भी जहाज पर ओभर लोडेड ट्रक का परिचालन नहीं किया जा रहा है तथा निर्धारित किराया से अधिक किराया की वसूली नहीं की जा रही है।

(iii) मनिहारी स्थित पदाधिकारीगण यह भी सुनिश्चित करेगें कि इस कार्यो का संचालन मूलरूप से स्वीकृत लेशी के द्वारा ही किया जा रहा है तथा अन्य कोई भी दबंग एवं आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति इसका संचालन नहीं कर रहे हैं।

(iv) यदि उक्त पदाधिकारीगण द्वारा यह पाया जाता है कि स्वीकृत लेशी द्वारा संविदा/परवाना के शर्त्तो के अनुरूप कार्यो का संपादन नहीं किया जा रहा है तो इस संबंध में तत्क्षण नियमानुकूल कार्रवाई करने के साथ–साथ इसकी सूचना जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, कटिहार को भी देगें।

(v) जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक तथा प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक, कटिहार प्रत्येक माह समय–समय पर मनिहारी से परिचालित होने वाली अन्तर्राजीय वाहनों की जॉच करेगें यदि ओभर लोडेड वाहन पाया जाता है और उक्त वाहन साहेबगंज की ओर से जहाजों से कटिहार आ रहें हैं तो तुरंत इसकी संसूचना जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, कटिहार को भी देगें।

(vi) जिला खनन पदाधिकारी, कटिहार समय–समय पर मनिहारी घाटों से आनेवाले वाहनों की जॉच करेगें। यदि उन्हें यह ज्ञात होता है कि बिना रॉयल्टी एवं जी.एस.टी. भुगतान किये साहेबगंज से ट्रक का परिचालन इस राज्य में किया जा रहा है तथा सरकार के नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो वे इसकी संसूचना भी जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, कटिहार को देगें।

(vii) जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक कटिहार प्रत्येक माह मनिहारी के पदाधिकारियों एवं अन्य संबंधित पदाधिकारिया के साथ बैठक करेगें तथा अन्य स्त्रोंतो से भी यह जानकारी प्राप्त करेगें कि वहॉ संविदा/परवाना के शर्त्तो के अनुरूप कार्य किया जा रहा है तथा इसका अक्षरशः अनुपालन हो रहा है। इसके संबंध में एक प्रतिवेदन आयुक्त कार्यालय, पूर्णियाँ को भी प्रेषित किया जाय।

04. अनुरोध है कि उपर्युक्त दिये गये निर्देशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाय एवं कृत कार्रवाई से इस कार्यालय को भी अवगत कराया जाय।

विश्वासभाजन

ह०/
आयुक्त,
पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।

ज्ञापांक:..........................पूर्णियाँ, दिनांक..................................

प्रतिलिपि :– जिला परिवहन पदाधिकारी, कटिहार/जिला खनिज विकास पदाधिकारी, कटिहार / अनुमंडल पदाधिकारी, मनिहारी/अनुमंडल पुलिस, पदाधिकारी, मनिहारी/अंचल पदाधिकारी, मनिहारी/ थानाध्यक्ष, मनिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/
आयुक्त,
पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।

ज्ञापांक 2540. पूर्णियॉ, दिनांक 02/08/22

प्रतिलिपि:– पुलिस महानिरीक्षक, पूर्णियॉ क्षेत्र, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

2/8/22
आयुक्त,
पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।